कार्यालय आदेश

विषय : आयोग के रजिस्ट्रार के दायित्वों व कार्यों का निर्धारण ।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यों का प्रभावी एवं सुगम संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यालय आदेश सं0 594/सचिव/2015, दिनांक 29-05-2015 द्वारा आयोग के विधि अधिकारी को आयोग के पदेन रजिस्ट्रार के रुप में नियुक्त करते हुये उन्हें आयोग में योजित होने वाली समस्त शिकायतों व अपीलों को पंजीकृत किये जाने से पूर्व उनका परीक्षण करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

2- इसी क्रम में, आयोग में योजित होने वाली शिकायतों, अपीलों, लिखित कथनों, आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों को रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षण के उपरान्त ग्रहण करने, अथवा उन पर अन्य उपयुक्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(i) आयोग के रजिस्ट्रार, आयोग में योजित होने वाली प्रत्येक शिकायत, अपील, लिखित कथन, आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज का अधिनियम/नियमावली/न्यायालय आदेशों के आलोक में परीक्षण करेंगे ।

(ii) यदि आयोग में योजित किसी आवेदन में आवेदक द्वारा सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है, तो ऐसे आवेदन को अधिनियम की धारा 19(3) के तहत आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील माना जायेगा, चाहे इस आवेदन में जन सूचना अधिकारी को धारा 20 के तहत दण्डित करने की प्रार्थना की गयी हो या न की गयी हो । इसके विपरीत, यदि आयोग में योजित किसी आवेदन में जन सूचना अधिकारी से सूचना दिलाये जाने का अनुरोध नहीं किया गया है, बल्कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना न दिये जाने, या विलम्ब से दिये जाने, या गलत सूचना दिये जाने की शिकायत करते हुए जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडित करने का अनुरोध किया गया है, तो ऐसे आवेदन को अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत माना जायेगा ।

(मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 10787-10788/2011, "मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य", में पारित आदेश दिनांक 12-12-2011)

(iii) आयोग में योजित किसी शिकायत में परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विवरण अवश्य होना चाहिये। इसी प्रकार आयोग में योजित किसी अपील में परिशिष्ट 2 में दिया गया विवरण अवश्य होना चाहिये ।

(iv) यदि किसी शिकायत के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाये कि शिकायत में परिशिष्ट. 1 में वर्णित कतिपय बिन्दुओं से संबंधित विवरण नहीं है, तो इस प्रकार पायी गयी कमियों को इंगित करते हुये रजिस्ट्रार उक्त शिकायत को शिकायतकर्ता को इस परामर्श के साथ वापिस कर देगा कि शिकायतकर्ता उक्त कमियों को दूर करने के उपरान्त शिकायत पुनः आयोग में प्रस्तुत करें ।

(v) इसी प्रकार, यदि किसी अपील के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाये कि अपील में परिशिष्ट 2 में वर्णित कतिपय बिन्दुओं से संबंधित विवरण नहीं है, तो इस प्रकार पायी गयी कमियों को इंगित करते हुये रजिस्ट्रार उक्त अपील को अपीलकर्ता को इस परामर्श के साथ वापिस कर देगा कि अपीलकर्ता उक्त कमियों को दूर करने के उपरान्त अपील पुनः आयोग में प्रस्तुत करे ।

(vi) उपर्युक्तानुसार लौटाई गयी प्रत्येक त्रुटिपूर्ण शिकायत व अपील के विवरण को रजिस्ट्रार द्वारा परिशिष्ट 3 पर दिये गये प्रारुप में रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा ।

(vii) यदि किसी शिकायत के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाता है कि शिकायत में परिशिष्ट 1 के अनुसार सभी विवरण उपलब्ध हैं व शिकायत सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है, तो वह शिकायत को संख्याकित कराते हुये उसका विवरण परिशिष्ट–4 पर दिये प्रारुप में रजिस्टर में दर्ज कराने के उपरान्त, शिकायत को प्रश्नगत मामले में अधिकारिता रखने वाले सूचना आयुक्त को अग्रेषित करेगा ।

(viii) इसी प्रकार, यदि किसी अपील के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाता है कि अपील में परिशिष्ट 2 के अनुसार सभी विवरण उपलब्ध है व अपील सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है, तो वह अपील को संख्याकित कराते हुये उसका विवरण परिशिष्ट 5 पर दिये प्रारुप में रजिस्टर में दर्ज कराने के उपरान्त, अपील को प्रश्नगत मामले में अधिकारिता रखने वाले सूचना आयुक्त को अग्रेषित करेगा ।

(ix) यदि किसी अपील के परीक्षण के उपरान्त रजिस्ट्रार यह पाये कि अपील सभी प्रकार से पंजीकरण योग्य है किन्तु निर्धारित अवधि सीमा के बाद दायर की गयी है, तो उक्त अपील को संख्याकित करने व परिशिट–5 के रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त प्रश्नगत मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले सूचना आयुक्त को इस आशय से अग्रेषित करेगा कि पीठ द्वारा सर्वप्रथम अपील पर विलम्ब माफी देने या न देने के बारे में यथोचित निर्णय लिया जाये ।

(x) यदि आयोग में कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है जो पूर्व में पंजीकृत किसी शिकायत या अपील से सम्बन्धित है, तो इस अभिलेख को परीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा उस सूचना आयुक्त को अग्रेषित किया जायेगा, जिसके द्वारा उक्त पूर्व पंजीकृत शिकायत या अपील सुनी जा रही है । सम्बन्धित सूचना आयुक्त द्वारा उक्त अभिलेख को शिकायत या अपील की सुसंगत पत्रावली पर रखते हुये यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

(xi) यदि आयोग में कोई ऐसा अभिलेख प्राप्त होता है जो न तो नई शिकायत या अपील है, और न ही किसी पूर्व पंजीकृत शिकायत या अपील से सम्बन्धित है, तो रजिस्ट्रार उक्त अभिलेख को परीक्षणोपरान्त उस अधिकारी या अनुभाग को अग्रेषित करेगा जिसके द्वारा, रजिस्ट्रार के मतानुसार, उक्त अभिलेख पर वांछित कार्यवाही की जानी है ।

3– उपर्युक्त आदेश 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये पारित किये जा रहे हैं ।

(जावेद उस्मानी)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।

पत्र सं0 610 /सचिव/2015, दि0 15 जून, 2015

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग।
3– सचिव, राज्य सूचना आयोग ।
4– विधि अधिकारी, राज्य सूचना आयोग ।
5– उपसचिव, राज्य सूचना आयोग ।
6– गार्ड फाइल ।

(एस0 के0 ओझा)
सचिव

परिशिष्ट–1

आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर शिकायत में दिया जाने वाला विवरण

क : शिकायतकर्ता से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण

1–शिकायतकर्ता का नाम

2–डाक–पता, सेल फोन नम्बर (यदि कोई हो) और ई–मेल पता (यदि कोई हो)

ख : शिकायत का विवरण

1–उस जन सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है

- नाम (यदि उपलब्ध हो)
- पदनाम
- पता

2–यदि अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन जन सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

- नाम (यदि उपलब्ध हो)
- पदनाम
- पता

3– अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की प्रति अवश्य संलग्न की जाए ।

4–क्या अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था ? यदि हाँ तो जन सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए ।

5–शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा

6–शिकायत के आधार

7–प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष

8–उन दस्तावेजों की सूची जो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी हो और जिन पर वह निर्भर हो

- अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किये गये अनुरोध की प्रति ।
- जन सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश यदि कोई हो, की प्रति ।
- धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गयी अपील, यदि कोई हो, की प्रति।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति ।

परिशिष्ट–2

आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 19(3) के तहत दायर अपील में दिया जाने वाला विवरण

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :–

1–अपीलार्थी का नाम

2–डाक पता, सेल फोन नम्बर (यदि कोई हो) और ई–मेल पता (यदि कोई हो)

ख : द्वितीय अपील का विवरण :

1–उस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है

- नाम (यदि उपलब्ध हो)
- पदनाम
- पता

2–सम्बंधित जन सूचना अधिकारी का विवरण

- नाम (यदि उपलब्ध हो)
- पदनाम
- पता

3– अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की प्रति तथा उक्त आवेदन पर जन सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति अवश्य संलग्न की जाये ।

4– अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गयी अपील का ब्यौरा

- अपील का दिनांक
- क्या अपील पर कोई आदेश पारित किया गया ? यदि हाँ, तो अपील पर पारित आदेश का दिनांक :
- अपील पर पारित आदेश की प्राप्ति का दिनांक

(अपील की एक प्रति और अपील पर पारित आदेश, यदि कोई हो, की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)

5–यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही हो तो विलम्ब के कारण

6–अपील के आधार

7–प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष

8–उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हों और जिन पर वह निर्भर हो

- अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किये गये अनुरोध की प्रति
- जन सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति
- धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गयी अपील की प्रति
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति

परिशिष्ट--१

लौटाई गयी त्रुटिपूर्ण शिकायतों/अपीलों का रजिस्टर

वर्ष.....

क्रम संख्या	त्रुटिपूर्ण शिकायत/अपील की प्राप्ति का दिनाक	शिकायतकर्ता/अपीलार्थी का नाम और पता	शिकायत/अपील में इगित त्रुटियां का संक्षिप्त ब्यौरा	त्रुटिपूर्ण शिकायत/अपील की वापसी का दिनांक एवं स्पीड–पोस्ट परेषण संख्या	आभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट–4

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन दायर की गयी शिकायतों का रजिस्टर

वर्ष.....

पंजीकरण संख्या	पंजीकरण का दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम और पता	उस लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो) व पदनाम जिसके विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई गई	आयुक्त का नाम जिनको शिकायत निस्तारण हेतु भेजी गई और उसके भेजे जाने का दिनांक	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट–5

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अधीन दायर की गई द्वितीय अपीलों का रजिस्टर

वर्ष.....

पंजीकरण संख्या	पंजीकरण का दिनांक	अपीलार्थी का नाम और पता	उस लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो) और पदनाम जिसके समक्ष अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन आवेदन किया गया था	उस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो) और पदनाम जिसके समक्ष अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपील दायर की गयी थी	लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के दिनांक	आयुक्त का नाम जिनको निस्तारण हेतु द्वितीय अपील अग्रेषित की गई तथा अग्रेषण का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8